2019/00372

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 236/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कार्यालय द्वितीय फ्लोर, अनुकम्पा टावर, चर्च रोड, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स खण्डेलवाल कॉल डिपोट प्रोपराईटर रामकिशोर खण्डेलवाल
   पता–34–35, अपोजिट लक्ष्मी मन्दिर सिनेमा, सहकार मार्ग, टौंक रोड, जयपुर ।
2. विमला देवी पत्नी श्री रामकिशोर खण्डेलवाल
3. श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री सुरेश गुप्ता
4. सुरेश गुप्ता पुत्र श्री रामकिशोर गुप्ता
   निवासी 213 मिश्रा जी का रास्ता, थर्ड कोसिंग, चांदपोल बाजार, जयपुर।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–श्री महेश कुमार शर्मा प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 14.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 27.06.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में (1) अप्रार्थी रामकिशोर खण्डेलवाल एवं विमला देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नं. 213 मिश्रा जी का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर एवं (2) अप्रार्थी श्री सुरेश गुप्ता एवं आशा गुप्ता के स्वामित्व की सम्पत्ति 3, कार्मियशल दुकान (पश्चिम) स्थित मकान नं. 213 मिश्रा जी का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर को बन्धक रख कर कुल 125 लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक .03.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं है।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.03.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति (1) अप्रार्थी रामकिशोर खण्डेलवाल एवं विमला देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नं. 213 मिश्रा जी का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर एवं (2) अप्रार्थी श्री सुरेश गुप्ता एवं [illegible] गुप्ता के स्वामित्व की सम्पत्ति 3, कार्मियशल दुकान (पश्चिम) स्थित मकान नं. 213 मिश्रा जी का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 14-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) जिला जयपुर (राज.)